क्रिमिनल केसिज़ रीव्यू कमिशन क्या है ?

क्रिमिनल केसिज़ रीव्यू कमिशन या CCRC एक ऐसी स्वतंत्र सार्वजनिक संस्था है जो उन कानूनी केसों पर पुनिर्विचार करती है जिनमें यह शंका हो कि अन्याय हुआ है। बर्मिंघम सिक्स केस की तरह अन्य केसों में अन्याय होने पर जनता में चिंता बढ़ने के कारण CCRC की स्थापना 1997 में हुई।

CCRC बर्मिंघम में स्थित है और इसमें 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं जिनमें कई कमिशनर भी हैं।

इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसे इंग्लैंड, वेल्ज़ या नोर्थन आयरलैंड में कानूनी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो ऐसा व्यक्ति अपने केस पर पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है परन्तु इससे पहले उसे अपील की सामान्य प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। स्कॉटलैंड में उनकी अपनी CCRC संस्था है।

हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं?

हम एक स्वतंत्र संस्था हैं और प्रोसीक्युशन या मुकद्दमा करने वालों, डिफैंस या बचाव पक्ष, पुलिस, अदालत या अपराध संबंधि न्याय की प्रणाली में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसका तात्पर्य है कि हम आवेदन करने वाले का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते।

हम क्या करते हैं?

हम केस का निरिक्षण करते हैं और यह तय करते हैं कि उस पर पुनर्विचार करने के लिए अपील कोर्ट के पास भेजा जा सकता है या नहीं। यह हमारी भूमिका नहीं है कि हम केस में किसी को “निर्दोष” या “दोषी” होने का या केस को फिर से अदालत में ले जाने के लिए निर्णय लें।

केस को कब रिफर करना चाहिए?

सामान्यतः केस को तभी रिफर या पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है यदि ऐसा कोई नया प्रमाण मिला हो जो केस की प्राथमिक सुनवाई या अपील के समय उपलब्ध नहीं था, और जिसके सामने आ जाने से अदालत का निर्णय या असुरक्षित हो जाता है या निष्पक्षता पर आशंका लगाई जा सकती है। हम केस को तभी रिफर करते हैं यदि हमें ऐसा लगता है कि पहले निर्णय को अपील कोर्ट द्वारा बदलने की बहुत अधिक संभावना है।

25 केसों में से लगभग 1 केस को अपील कोर्ट के पास रिफर किया जाता है। यदि केस को रिफर किया जाता है तो उसकी सुनवाई के लिए एक नई तिथि तय की जाती है जब अपील कोर्ट यह निर्णय लेगा कि अदालत का पहला निर्णय असुरक्षित है या निष्पक्ष नहीं है।

हम पुनर्विचार कैसे प्रारंभ करते हैं?

जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी बेजोड़ क्षमता द्वारा हम पहली सुनवाई में प्रस्तुत किए गए सभी साधन प्राप्त करते हैं, जैसे पुलिस या स्वास्थ्य सेवा आदि से जानकारी।

फिर यह देखा जाता है कि केस कितना पेचीदा है। जो केस बहुत अधिक सरलता से सुलझाया जा सकता है उस केस को ऐसे केसों के साथ रखा जाता है जिनको समय आने पर किसी केसवर्कर को दिया जाएगा। अधिक पेचीदे केस को दूसरे पेचीदे केसों के साथ किसी द्वारा देखे जाने के लिए रखा जाता है। उन आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है जो हिरासत में हैं या जिसकी कोई विशेष परिस्थितियां हैं।

पुनर्विचार के लिए कितनी देर लगती है?

केस पर पुनर्विचार करने के काम में बहुत अधिक समय लग सकता है। पेचीदे केस में कई महिनें या कई बार कई वर्ष लग सकते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि केस को पूरी तरह से देखा जाए। यदि आवशयक हो तो हम और टैस्ट करवा सकते हैं या विशेषज्ञों के विचार भी ले सकते हैं। कई बार हमें पहली सुनवाई में बुलवाए गए गवाहों और उस सुनवाई से संबंधित अन्य लोगों के साथ इंटरव्यू करनी पड़ती है अर्थात् प्रश्न पूछने के लिए मिलना पड़ता है।

विशेषकर पेचीदे या संवेदनशील केसों में हम पुलिस आदि अन्य संस्थाओं को हमारी ओर से और छानबीन करने का आदेश दे सकते हैं।

हम आवेदन करने वालों के साथ कैसा संबंध रखते हैं ?

CCRC को प्रति वर्ष लगभग 900 आवेदन किए जाते हैं। हम आवेदन करने वालों को यह प्रोत्साहन देते हैं कि वे किसी को उनकी ओर से कानूनी प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करें, परन्तु आपको अपना आवेदन करने के लिए वकील की आवश्यकता नहीं है। CCRC को आवेदन करना निःशुल्क है और यदि हमें लगता है कि कोई टैस्ट करवाना या रिपोर्ट लेना आवश्यक है तो उसका खर्च हम स्वयं करते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम आवेदन करने वाले के साथ मिल सकते हैं।

क्या आवेदकों को बताया जाता है कि पुनर्विचार में क्या प्रगती हो रही है?

आवेदन करने वालों को हम अधिक से अधिक जानकारी देते हैं, परन्तु कई बार कुछ जानकारी को गोपनिय रखना आवश्यक होता है। आवेदन करने वालों को जटिल प्रक्रियों को समझने में सहायता देने के लिए हम वचनबद्ध हैं।

हम समझते हैं कि उन आवेदन करनो वालों को बहुत अधिक दुःख होता है जिनके केस को रिफर नहीं किया जाता परन्तु हम यह अनुरोध करते हैं कि हमारे कर्मचारियों के साथ हर समय आदर के साथ व्यवहार किया जाए। हमारे उपभोगताओं की शिकायतों के लिए हमारी विशेष प्रक्रिया है।

अन्य जानकारी

CCRC की स्थापना क्रिमिनल अपील ऐक्ट 1995 से की गई। इस ऐक्ट द्वारा CCRC की क्षमताओं और कर्त्तव्यों को बताया गया है।

अपील कोर्ट CCRC को उन केसों का निरिक्षण करने को कह सकता है जो केस सीधे उसके पास आए हैं, या CCRC द्वारा रिफर किए हुए केसों के विशेष पहलुओं पर और जानकारी प्राप्त करने की मांग कर सकता है।

CCRC की एक और भूमिका है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या अपराध के कानून की प्रक्रिया में हो रहे विकास के बारे में जानकारी देना और उस प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बढ़ाना

CCRC के पास यह क्षमता है कि वे राजकीय क्षमा दिलवाने के बारे में सलाह दे, परन्तु इस क्षमता का बहुत कम प्रयोग किया जाता है।

आंकड़ों और वकीलों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ CCRC के बारे में अधिक जानकारी हमारी वैबसाइट www.ccrc.gov.uk पर उपलब्ध है।